30.6.18 पत्रावली आज लोक अदालत हेतु

रामोतार/मीना कोर्ट आर्य, डहरिया में पेश हुई।

जिसमें सायलान व गैरसायलान

रामकेश/ को सुना गया। सायलान ने

अपने पक्ष में निवेदन किया

रामेश्वर/ कि आराजी ख० नं० 222 रकबा 0.13 हे०,

223 रकबा 0.06 हे०, 224 रकबा 0.14 हे०

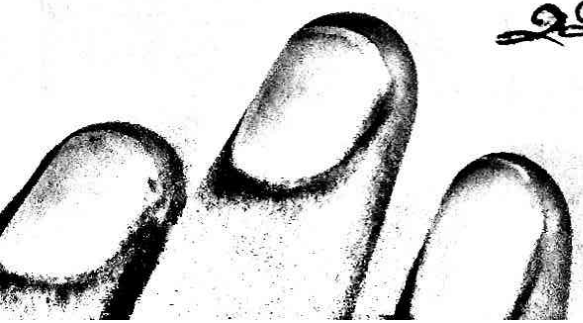

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावाँनी

फर्द अहकाम

२८९ रकबा 0.25 है० स्थित ग्राम [illegible]
जो कि आवेदक के नाम दर्ज कागजात
है। आवेदक स्वत काबिज चला आ रहा
है व वही कब्जेकाश्त है। विपक्षीगण द्वारा
उक्त भूमि जो कि [illegible] [illegible]
किन्तु विपक्षीगण सं. 1 ता 5 ने उक्त
पर कामकी की कोशिश [illegible] [illegible]
पर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण
कार्य करेंगे और लकड़ी, ईंट [illegible]
इत्यादि डाल दिये। जिसके कारण
आवेदक को न्यायालय की शरण में
आना पड़ा। अतः विपक्षीगण को
जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया जावे कि वे आवेदक की कब्जे
काश्त आराजी भूमि में कब्जेकाश्त
व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार
की मुदाखलत - मजाहमत पैदा नहीं
करें। एवं किसी प्रकार का निर्माण
कार्य नहीं करें। एवं मौके की यथास्थिति
बनाये रखें। [illegible] पर विपक्षीगण
सं. 1 ता 5 की ओर से जवाब
पेश हुआ जो कि आवेदन [illegible]
गया। अपने जवाब में विपक्षीगण
ने कथन किया [illegible] आवेदक के
कब्जेकाश्त भूमि में कोई [illegible]
नहीं की है आवेदक ने [illegible] [illegible]
परेशान करने की नियत से [illegible]
प्रा० पत्र पेश किया है [illegible]
प्रा० पत्र मय खर्च खारिज फरमाया
जावे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौ

दिनांक	फर्द अहकाम
	अतः दोनो पक्षकारान को सुना जाकर एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष मे होना साबित होता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्राथमिकी केस व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे होना प्रतीत होता है। सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः सायलान विरुद्ध गैरसायलान प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा०वि०नि० स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सायलान के कब्जेकाश्त व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। न ही कोई निर्माण कार्य करें। पत्रावली नियमानुसार मानी जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर शामिल वाद रहे।
	(हस्ताक्षर) महेन्द्रसिंह यादव उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल (?)...